न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 493/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए

रसीद मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया

वादी

बनाम

1 बशीर मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया
2 सदीक मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया
3 सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीरकामड़िया
4 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ़ ज.
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता — वादी
2. श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम अधिवक्ता—प्रतिवादी संख्या 1, 2

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार कि वादी एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खाता चक नं. 19 एफटीपी खाता सं. 75/47 के खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादी कुल खाता 3.795है. में से 711/1898 हिस्सा यानि 1.417है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराम दावा प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादी का अर्सा पूर्व आपस में अच्छी मंदी अनुसार घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि आई हैः—

चक नं.	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	75/47	165/244	4	2/1/0.228 है., 2/2/0.025है. गै.मु.रास्ता, 3/1/0.137 है. 3/2/0.015है.गै.मु.रास्ता, 9/0.253है.
		166/244	3	1/1/0.228है. 1/2/0.025है.गै.मु. रास्ता, 10,11/0.506है. कुल 1.417है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

वादी ने घरू बंटवारा मुताबिक अपने हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि पर काफी पैसे खर्च कर, काफी श्रम कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्त योग्य बनाया है। जिसका वादी खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करने का मुस्तहक व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि मुताबिक घरू बंटवारा व मौका की कब्जा काश्त के अनुसार अपना—अपना खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे। किंतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे एवं अंत में ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया। बस यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रति.सं. 1, 2 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ने वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 सहकाश्तकार है। सह–काश्तकारों के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है प्रकरण में कोई विवाद नही है। इसलिए वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जावे।

Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 चक 19 एफटीपी खाता संख्या 75/47 खाता बशीर मोहम्मद के अवलोकन से यह साबित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रवितादीगण अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मध्य राजनीमा हो जाने के कारण वाद वादी मुताबिक राजनीमा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का पत्र पत्र मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिग्री किया जाता है कि :–

वादी रसीद मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 3/1/0.137 है. 3/2/0.015 है.गै.मु.रास्ता, 9/0.253 है.
	166/244	3	1/1/0.228है. 1/2/0.025है.गै.मु. रास्ता, 10,11/0.506 है. कुल 1.417है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी संख्या 1 बशीर मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	3/1/0.091 है., 3/2/0.010 है. गै.मु.रास्ता, 4/1/0.187 है. 7/0.187 है. 8,12,13/0.759 है. 14/0.188 है. कुल 1.422 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी संख्या 2 सदीक मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	4/0.066 है. 5[illegible]0.506 है. 7/0.066 है. 14/0.065 है. 15/0.253 है. कुल 1.956 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वादण में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 493/2023

रसीद मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया वादी

बनाम

1. बशीर मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया
2. सदीक मोहम्मद पुत्र निजावत अली जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तह. संगरिया
3. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीरकामड़िया
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ़ ज.
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वादी मिन जामिन मुदई वकील जिनेन्द्र कुमार बाथम प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीया में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :–

वादी रसीद मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 3/1/0.137 है. 3/2/0.015 है.गै.मु.रास्ता, 9/0.253 है.
	166/244	3	1/1/0.228है. 1/2/0.025है.गै.मु. रास्ता, 10,11/0.506 है. कुल 1.417है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी संख्या 1 बशीर मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	3/1/0.091 है., 3/2/0.010 है. गै.मु.रास्ता, 4/1/0.187 है. 7/0.187 है. 8,12,13/0.759 है. 14/0.188 है. कुल 1.422 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी संख्या 2 सदीक मोहम्मद पुत्र निजावत अली की कब्जा काश्त :–

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
19 एफटीपी	165/244	4	4/0.066 है. 5,6/0.506 है. 7/0.066 है. 14/0.065 है. 15/0.253 है. कुल 0.956 है. कृषि भूमि

अतः उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

यह डिक्री आज दिनांक.................. को हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:39 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया